

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

संख्या: 2302/रा०

पटना दिनांक:-16-09-13

अधिसूचना

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा-कुनौली थाना सं० 01 परगना-नारे नगर थाना- निर्मली जिला- सुपौल, में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् एस०एस०बी० 35 वीं बटालियन राजनगर के बोर्डर ऑउट पोस्ट की स्थापना के लिए भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय के अर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम- कुनौली थाना- नं० 01 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित जो मानक माप से कमोवेश 3.00 (तीन एकड़) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार है:-

खेसरा संख्या:- 1579, 1597, 1598, 1602 एवं 1603

रास्ता संख्या:- 1580, 1594, 1596, 1599, 1604 एवं 1605

चौड़ी:-

रास्ता:- मौजा- कुनौली थाना नं०-1 का खेसरा सं०-1580 एवं 1583

क्षेत्र:- मौजा- कुनौली थाना नं०-1 का खेसरा संख्या:- 1599, 1601 एवं 1605

रस्ता:- मौजा- कुनौली थाना नं०-01 का खेसरा सं०- 1594, 1596, 1604 एवं 1605

रास्ता:- मौजा- कुनौली थाना नं०-01 का गैरमजरूआ आम रास्ता

इस अधिसूचना अधिनियम 1, 1994 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 1 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना के संबंध प्रारंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे समादेष्टा, एस० एस० बी० 35 वीं बटालियन, राजनगर के कर्मचारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अतिरिक्त अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चित किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (5A) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

www
समाहृत
सुपौल।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2302/र०,

2.

दिनांक:- 16-09-13

प्रति भि:-

- त्रिभुज अतिरिक्त प्रतियों सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना के दो दैनिक समाचार पत्रों- जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पॉच-पॉच प्रतियों इस विभाग को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- सहायक, सुपौल, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं समादेष्टा, एस0एस0बी0 35 वीं बंगला, राजनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।